Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLV

मीडिया एवं महिला सशक्तिकरण

डॉ. नसीम अख्तर*

* असिस्टेन्ट प्रोफेसर (समाजशास्त्र) श्रीमती बी0डी0 जैन कन्या महाविद्यालय, आगरा (उ.प्र.) भारत

प्रस्तावना – आजकल महिलाओं के लिए 'कल्याण', 'उत्थान', 'विकास' और 'जागृति' जैसे शब्दों की अपेक्षा 'सशक्ता' शब्द का प्रयोग बडे पैमाने पर किया जा रहा है। 'सशक्तता' शब्द में 'शक्ति' शब्द समाहित है जिसका आशय ताकत से है तथा साथ ही शक्ति संतुलन को बदलने से हैं।

इस प्रकार सशक्तता का तात्पर्य उस शक्ति से है जिसके द्वारा समाज में व्याप्त शक्ति संतुलन को बदला जा सके। इस शक्ति संतुलन को बदलने से हमारा तात्पर्य है कि जो शक्ति, चाहे वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा धार्मिक क्षेत्र में व्याप्त हो, पहले पुरूषों के हाथों में भी अब उस पर महिलाओं का भी अधिकार हो। इस सशक्तता का उद्देश्य मर्दों को कमजोर करना नहीं बल्कि महिलाओं केा इस प्रकार सशक्त करना है ताकि वे प्रत्येक क्षेत्र में समानता का अधिकार प्राप्त कर सकें।

संक्षेप में महिला सशक्तिकरण का अभिप्राय है महिला अपने आप को शक्तिशाली बनाए। बाह्य घटक जैसे सरकारी, गैर सरकारी संस्थायें तथा सवेंदनशील पुरूष भी इस प्रयत्न में उसका साथ दे सकते हैं महिला सशक्तिकरण के लिए यह भी आवश्यक है कि उन्हें कानूनी सहायता तथा सूचना और प्रचार माध्यम की सुविधाओं की भी उचित मात्रा में उपलब्धि हो। मीडिया का अर्थ है संचार का माध्यम, जिसे हम देश की आँखे एवं देश का पथ प्रदर्शक कहते हैं।

मीडिया के प्रकार

(i) प्रिन्ट मीडिया

(ii) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया

संचार का प्रथम माध्यम समाचार पत्र, मैगज़ीन, साप्ताहिक पोस्टर, किताबें आदि हैं। तथा दूसरा माध्यम टी0वी0, सिनेमा, रेडियो, वी0सी0आर0, कम्प्यूटर, फोन आदि इनेक्ट्रॉनिक मीडियेटर हैं।

लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में सरकार के तीन प्रमुख अंगों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के अतिरिक्त चौथा प्रमुख आधार स्तंभ है मीडिया। जिसमें प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों सम्मिलित हैं। जनसाधारण में विभिन्न सूचनाओं का सम्प्रेषण करना, जनमत का निर्माण करना, जनता में चेतना एवं जागरुकता का विकास करना प्रेस/मीडिया का प्राथमिक लक्ष्य है। [1]

मीडिया का महत्व – मीडिया अर्थात् मीडियम या माध्यम। मीडिया के महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ कहते हैं। समाज में मीडिया की भूमिका सूचना वहन की होती है। वह समाज के विभिन्न वर्गों, सत्ता केन्द्रों, व्यक्तियों और संस्थाओं के बीच पुल का कार्य करता है। आधुनिक युग में मीडिया का सामान्य अर्थ समाचार पत्र, पत्रिकाओं, टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट आदि से लिया जाता है। किसी भी देश की उन्नति व प्रगति में मीडिया का बहुत बड़ा योगदान होता हैं यदि यह कहा जाये कि मीडिया समाज का निर्माण एवं पुनर्निर्माण करता है तो यह गलत नहीं होगा। इतिहास में ऐसे अनेक उदारहण मिलेंगे जिनसे सिद्ध होता है कि लोगों ने मीडिया की शक्ति एवं महत्व को पहचानकर उसे एक शक्तिशाली हथियार के रुप में प्रयोग किया है जिससे समाज में अनेक परिवर्तन हुए हैं। अंग्रेजों से देश को मुक्ति दिलाने एवं उनमें देश–भक्ति व उत्साह भरने में भी मीडिया की अहम भूमिका रही है। आज भी मीडिया की ताकत के सामने बड़े से बड़ा राजनेता, उद्योगपति सभी सिर झुकाते हैं। मीडिया का जन–जागरण में भी बहुत योगदान है। बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का अभियान हो या एड्स के प्रति जागरुकता का कार्य, मीडिया ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी तरह से निभाई है। लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित करना, बाल मजदूरी पर रोक लगाने के लिये प्रयास करना, धूम्रपान के खतरों से अवगत कराना जैसे अनेक कार्यों को करने में मीडिया का महत्व रहा है। मीडिया समय–समय पर नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक करता रहता है। देश में भ्रष्टाचारियों पर कड़ी नजर रखता है। समय–समय पर स्टिंग ऑपरेशन कर इन सफेदपोशों का काला चेहरा दुनिया के सामने लाता है। इस प्रकार मीडिया का हमारे जीवन में बहुत महत्व है।[2]

इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार मीडिया हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। मीडिया ने महिलाओं के जीवन में भी महत्वपूर्ण बदलाव किये हैं। आज मीडिया के माध्यम से महिलाएं अपने अधिकारों को जानकर सशक्त हो रही हैं।

महिला सशक्तिकरण के लिए मीडिया की आवश्यकता – संविधान ने महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिये हैं अर्थात् महिलाएं संवैधानिक दृष्टि से अधिकार संपन्न हैं। परन्तु हम देखते हैं कि यथार्थ में वे भेदभाव, शोषण और उत्पीड़न का शिकार बनी हुई हैं। आज आवश्यकता है कि इन्हें उनके अधिकार दिलाये जायें, उन्हें शिक्षित किया जाये, स्वावलम्बी, मजबूत और जागरुक बनाया जाये। इस दिशा में सरकार ने कई योजनाएं एवं कार्यक्रम बनाये ताकि इनका कल्याण किया जाये। परन्तु ये सभी प्रयास कागजों में ही सिमट कर रह गए। जबकि इन प्रयासों को महिलाओं के बीच पहुँचाने की आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति मीडिया के माध्यम से हो सकती है। मीडिया जैसे दूरदर्शन, निजी चैनल व रेडियो के माध्यम से महिलाएं विवाह, दहेज, बलात्कार, संपत्ति अधिकार, समान वेतन, प्रसूति–सुविधा आदि के संबंध में जागरुक हो सकती हैं और हो भी रही हैं। मीडिया के माध्यम से महिलाओं को बाल विवाह अधिनियम, पत्नी के भरण पोषण या विधवा गुजारा भत्ते संबंधी कानून, महिला हिंसा कानून, गोद लेने संबंधी कानून, संपत्ति संबंधी अधिकार आदि की जानकारी प्राप्त होगी, जो उनके

जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। मीडिया की ईमानदार प्रतिबद्धता निश्चित ही महिला सशक्तिकरण के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ सकती है।

महिला सशक्तिकरण में मीडिया की भूमिका – वर्तमान में प्रिंट, दृश्य और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक प्रभावी संदेशवाहक और परिवर्तनकारी एजेंट के तौर पर, अलग–थलग पड़ी वंचित महिलाओं के एक बड़े हिस्से को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की व्यापक क्षमता है। मीडिया ने समय, स्थान और सूचना के आदान–प्रदान की मात्रा की सीमा से बाधित हुए बगैर, परस्पर सम्प्रेषण और जुड़ाव का एक नया मार्ग खोल दिया है। मीडिया के अत्यधिक विस्तार ने अनेक लैंगिक मुद्दों को उजागर करने में मदद की है, जो कि अभी तक दुनिया के सामने नहीं आये थे। महिलाएं धीरे–धीरे ही सही पर आगे बढ़ रही हैं और अपनी आवाज उठा रही हैं। वे लैंगिक मुद्दो को नया दृष्टिकोण प्रदान कर रही हैं।

मीडिया ने महिला सशक्तिकरण के लिए बनाये जा रहे कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऑल इंडिया रेडियो (ए0 आई0 आर0) और दूरदर्शन में महिला सशक्तिकरण शीर्ष एजेंडा रहा है। डी0डी0 नेशनल पर स्त्री शक्ति, सफल महिलाओं की सफलता की कहानियों पर प्रकाश डालती है। डी0डी0 न्यूज 'तेजस्विनी' का प्रसारण करता है, जो उदाहरणीय महिलाओं की कहानियों को प्रस्तुत करता है, जिन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य पर पहुंची।[3]

भारत जैसे विकासशील देश में समय की सबसे महत्वपूर्ण मांग है महिलाओं के विकास और उनके सशक्तिकरण की। देश में अनेक समस्याएं हैं, इन समस्याओं का समाधान तब तक नहीं हो सकता जब तक महिलाएं सशक्त नहीं हो जातीं। संविधान ने महिलाओं को सभी तरह के अधिकार दिये हैं, इन अधिकारों को लागू करने के लिए कानून भी बना दिये लेकिन इनका लाभ वे तभी ले सकती हैं जब वे इनके संबंध में जागरुक होंगी और यह कार्य मीडिया द्वारा किया जाता है। मीडिया की भूमिका के बिना ये काम मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव भी है। मीडिया के माध्यम से महिलाएं जागरुक हो रही हैं। मीडिया उन्हें अपने अधिकारों एवं भूमिकाओं के बारे में सजग बनाकर उनका सशक्तिकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों में लगातार महिलाओं से संबंधित कार्यक्रमों के प्रसारण हो रहे हैं। प्रिंट मीडिया से लेकर रेडियो और दूरदर्शन इस विषय पर काम करता रहा है, प्राइवेट चैनलों ने भी महिलाओं से संबंधित कार्यक्रमों का प्रसारण आंरभ किया और इस दिशा में काफी बदलाव हुए भी हैं। [4]

वर्तमान में संचार माध्यम महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बाल विवाह अधिनियम की बात करें या पत्नी के भरण पोषण या विधवा गुजारा भत्ते की, स्त्रियाँ जागरुक हो रही हैं। उन्हें महिला हिंसा कानून, समान वेतन कानून, गोद लेने संबंधी कानून और संपत्ति में स्त्री के अधिकार की जानकारी सहित ऐसे अनेक चीजों का ज्ञान है जो उनके जीवन का सही दिशा दे सकते हैं। अपने जीवन में विभिन्न समस्याओं को बेहतर ढंग से सुलझाने की क्षमता उनमें लगातार विकसित हो रही है। जागरुकता का अभाव उनकी उन्नति के मार्ग का रोड़ा बन रही है। वैसे देखा जाये तो मीडिया समाज के विकास में बहुत सहायक है। परंतु महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में इसकी भूमिका सर्वोपरि है। आज समूचे विश्व में स्त्रियों का वर्चस्व बढ़ा है। प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं अपनी प्रतिभा दिखा रही हैं, उनकी पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति में परिवर्तन स्पष्ट दिखाई दे रहा है। परन्तु दूसरी ओर महिलाओं के प्रति हिंसा, यौन उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना जैसी अनेक घटनाएं आये दिन घट रही हैं, जो पहले भी घटती आई हैं। परन्तु आज मीडिया के कारण आप और हम इन घटनाओं से रुबरु हो रहे हैं तथा मीडिया ने महिलाओं में यह चेतना जाग्रत की है कि वे इन अत्याचारों के विरुद्ध अपनी आवाज उठा रही हैं। जिसके परिणामस्वरुप सरकार को भी उनके हित के लिए कानून बनाने के लिए तत्पर होना पड़ रहा है।

महिलाएं अपने अस्तित्व के लिए सदैव से एक लंबी लड़ाई लड़ती आ रही हैं। परन्तु इस लड़ाई ने कभी आंदोलन का रुप नहीं लिया था। महिलाओं के पक्ष में आधार तैयार करने में रेडियो, दूरदर्शन, पत्र–पत्रिकाओं और सबसे अधिक समाचार पत्रों की भूमिका रही है क्योंकि यह आम आदमी तक पहुँचने का सबसे सस्ता साधन है। भारत का महिला एवं बाल विकास विभाग स्त्रियों के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर में सुधार लाने हेतु सतत् प्रयत्नशील है और योजनाएं बनाता आ रहा है। अन्य शासकीय एवं अशासकीय तथा स्वयंसेवी संस्थाएं भी इस दिशा में कार्य कर रही हैं। किन्तु जब से मीडिया इस दिशा में सक्रिय हुआ है, तभी से उल्लेखनीय परिणाम मिल रहे हैं आज सभी शासकीय योजनाओं की जानकारी दृष्य–श्रृव्य माध्यमों द्वारा प्रसारित की जाती है और उनका व्यापक प्रभाव भी स्त्री वर्ग पर पड़ रहा है। अन्त्योदय योजनाएं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और जननी सुरक्षा योजना सहित जाने कितनी हीं योजनओं की जानकारी आज महिलाओं को है।

सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उनमें शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। सरकार बालिका शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से महिला साक्षरता बढ़ाने हेतु प्रयासरत् है। जिसमें मीडिया की अहम भूमिका है। बालिका शिक्षा संबंधी कई विज्ञापन एवं कार्यक्रम दिखाकर दूरदर्शन साक्षरता के प्रसार में सहयोग कर रहा है। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने तथा कन्या जन्म को बढ़ावा देने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

निष्कर्ष – पिछले कुछ वर्षों से मीडिया द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने एवं उनके मुद्दे उठाने में मीडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मीडिया ने एक ओर जहाँ महिलाओं को कई महत्वपूर्ण पद देकर उन्हें सशक्त किया है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं से संबंधित प्रेरक कहानियों से उनमें आत्मविश्वास जाग्रत करने का कार्य भी किया है। महिलाओं पर होने वाले जुर्मो एवं अत्याचारों को मीडिया द्वारा प्रमुखता से दिखाया जाता है जिससे उन्हें देर सबेर ही सही, पर इंसाफ मिलता है। महिलाओं से संबंधित मुद्दे पहले इतने चर्चा में नहीं रहते थे जितने की आज हैं। मीडिया ने विश्व को जोड़कर किसी भी घटना को एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचाया है। यही कारण है कि मलाला युसुफ को पहले कोई नहीं जानता था लेकिन ये मीडिया ही है, जिसने आज मलाला को विश्व प्रसिद्ध बना दिया है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। जिसकी महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका है। देश एवं राष्ट्र की तरक्की में मीडिया ने अहम भूमिका अदा की है क्योंकि देश की आधी आबादी को सशक्त किये बिना समाज, देश व राष्ट्र की तरक्की संभव नहीं है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. श्रीवास्तव, शमीनी, 2011, आधुनिक समाज एवं महिलाएँ, ब्लू स्टार, इंदौर, पृ0 सं0 160 – 61
2. श्रीवास्तव, मानव, 2019, योजना एवं कुरुक्षेत्र का GIST सरकारी योजनाएं, नीतियाँ एवं कार्यक्रम, दिल्ली, प्रभात प्रकाशन।
3. www.dpssharjan.com
4. सिन्हा, निभा, महिला विकास और सशक्तिकरण एवं जनमाध्यम, www.newswriters.in